पत्र संख्या : 7ब / 2700 गै०यो० ज०सं०–01 / 12........146 / 21.11.12... 157

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स / ईचा–गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची
मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना और जल विज्ञान, राँची
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 22.12.12

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2700–वृहद सिंचाई उप मुख्य शीर्ष–01– वृहद सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बजट मुख्य शीर्ष **2700– वृहद सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2700–वृहद सिंचाई	01 वृहद सिंचाई–वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन / 02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	**143.470**

कुल आवंटित राशि – रुपये एक करोड़ तैंतालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012–2013 के बजट उपबंध **₹ 12564.29 लाख** एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 11 / बी० टी० ई०– 04 / 2012 / 310 / बजट दिनांक 17.09.12) से प्राप्त राशि ₹ 21.14 लाख सहित कुल ₹ 12585.43 लाख **(एक सौ पचीस करोड़ पचासी लाख तैंतालीस हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ओंकार नाथ)
सहा० अभि०

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दिया जाय।

10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 157 रॉची, दिनांक :– 22.12.12

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला–खरसॉवा/घाटशीला/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 157 रॉची, दिनांक :– 22.12.12

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज॰सं॰वि॰/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(ओंकार नाथ) सहा॰ अभि॰	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)	(बी॰ सी॰ निगम) विशेष सचिव	**(एस० के० शतपथी)** प्रधान सचिव

परिशिष्ट I

पत्रांक 157 दिनांक 22.12.12 का अनुलग्नक

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–2700–वृहद सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–01–वृहद सिंचाई वाणिज्यिक
लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बॉध परियोजना

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम (वित्तीय वर्ष 2012–2013)	विपत्र कोड	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें: वेतन 49N270001001 020101	जीवन यापन भत्ता 49N270001001 020101	योग 49N270001001 020101	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि 49N270001001 020110	एल0टी0सी0 49N270001001 020112	विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय: देशीय यात्रा व्यय 49N270001001 020213	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय: कार्यालय व्यय 49N27000100 1020315	किराया,दरें, कर 49N2700010 01020316	आपूर्ति एवं सामग्री 49N27000100 1020323	दूरभाष 49N270001 001020333	वर्दी 49N2700010 01020334	विद्युत व्यय 49N270001 001020337	विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां: मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 49N270001001 020442	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय: विधि प्रभार 49N27000100 1020760	राशि लाख रूपये में: कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य अभियंता, योजना मोनेटरिंग एवं आयोजन रॉची	पूर्व का आवंटन	15.000	9.000	24.000	0.000	0.200	1.200	0.950	0.000	0.000	0.300	0.075	0.000	1.500	0.000	28.225	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**1.000**	**1.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.100**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1.100**	
		कुल आवंटन	15.000	10.000	25.000	0.000	0.200	1.200	0.950	0.000	0.000	0.400	0.075	0.000	1.500	0.000	**29.325**	
2	योजना एवं आयोजन अंचल, रॉची	पूर्व का आवंटन	70.000	42.000	112.000	0.000	0.000	1.656	0.750	0.000	0.000	0.070	0.000	0.000	0.800	0.000	**115.276**	
		अतिरिक्त आवंटन	**30.000**	**60.000**	**90.000**	**0.000**	**0.000**	**0.250**	**0.250**	**0.000**	**0.000**	**0.130**	**0.300**	**0.000**	**0.400**	**0.000**	**91.330**	
		कुल आवंटन	100.000	102.000	202.000	0.000	0.000	1.906	1.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	1.200	0.000	**206.606**	
3	योजना एवं मोनेटरिंग अचंल–2 रॉची	पूर्व का आवंटन	76.000	39.000	115.000	0.000	0.100	0.250	0.750	0.000	0.000	0.150	0.125	0.000	0.800	0.000	**117.175**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.315**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.315**	
		कुल आवंटन	76.000	39.000	115.000	0.000	0.100	0.565	0.750	0.000	0.000	0.150	0.125	0.000	0.800	0.000	**117.490**	
4	रूपांकण अंचल–आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन	66.000	52.000	118.000	0.530	0.200	0.250	0.400	0.000	0.000	0.150	0.200	0.000	0.700	0.250	**120.680**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-0.530**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-0.530**	
		कुल आवंटन	66.000	52.000	118.000	0.000	0.200	0.250	0.400	0.000	0.000	0.150	0.200	0.000	0.700	0.250	**120.150**	
5	गुण नियंत्रण प्रमंडल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	182.130	100.800	282.930	0.000	0.200	0.500	0.400	0.000	0.000	0.050	0.800	1.000	0.700	0.000	**286.580**	
		अतिरिक्त आवंटन	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.100**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.100**	**0.200**	**0.400**	
		कुल आवंटन	182.130	100.800	282.930	0.000	0.200	0.500	0.500	0.000	0.000	0.050	0.800	1.000	0.800	0.200	**286.980**	
6	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–4 गालूडीह	पूर्व का आवंटन	81.000	48.000	129.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**129.300**	
		अतिरिक्त आवंटन	**8.000**	**10.880**	**18.880**	**0.000**	**0.100**	**0.200**	**0.300**	**0.000**	**0.000**	**0.020**	**0.650**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**20.150**	
		कुल आवंटन	89.000	58.880	147.880	0.000	0.100	0.400	0.400	0.000	0.000	0.020	0.650	0.000	0.000	0.000	**149.450**	
7	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–10 घाटशिला	पूर्व का आवंटन	123.000	73.000	196.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.030	**196.580**	
		अतिरिक्त आवंटन	**13.870**	**15.590**	**29.460**	**0.000**	**0.000**	**0.100**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.070**	**1.075**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**30.705**	
		कुल आवंटन	136.870	88.590	225.460	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.120	1.075	0.000	0.000	0.030	**227.285**	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		**51.870**	**87.470**	**139.340**	**-0.530**	**0.100**	**0.865**	**0.650**	**0.000**	**0.000**	**0.320**	**2.025**	**0.000**	**0.500**	**0.200**	**143.470**	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–50/बजट दि0 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये एक करोड़ तैंतालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि0)

(बी0 सी0 निगम)
विशेष सचिव

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव